

रा हा

29-6-22 पशावली पेश हुयी उमयपक्ष के वकील
उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में
Not Press जारी किया। अतः वादी
का वाद खारिज किया जाता है
पशावली के फैसले अनुसार होकर नम्बर
से कम हो

Not Press

dsd

Advocate

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

